

Subject: - Sociology Date: - 29/05/2020

Class: - A-II (H) Paper: - 3rd

(1)

Topic: - राष्ट्रीय एकीकरण तथा इसके महत्वपूर्ण पक्ष

By: - Dr. Shyamamond Choudhary

Guest Teacher Marmora College, Devarbhanga

राष्ट्रीय एकीकरण online study material No: - (92)

राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय राष्ट्रीय एकता से है। यह एक प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत एक राष्ट्र के अन्दर निवास करने वालों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। इसमें धर्म, जाति, भाषा व क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में विचार करने व कार्य करने की और उन्मुख होना है। J.S. Ghalibye का कहना है, "राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें एकता, दृढ़ता और लोगों के दिल में परस्पर सम्बद्धता की भावनाओं का समावेश होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पायी जाती है।"

Vinoba Bhave के शब्दों में, "राष्ट्रीय एकीकरण भावनात्मक एकता, भविष्य और राष्ट्र प्रेम की वह दृढ़ भावना है जो देश के सभी निवासियों को अपनी व्यक्तिगत, क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई भिन्नता को भूल जाने में सहायता करती है।"

इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारस्परिक मतभेदों व संघर्षों को छोड़कर राष्ट्र के हित में अनुभूति करना और उस सन्दर्भ में सहयोग देना है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और उस हित की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। किसी प्रकार के भेदभाव को पनपने नहीं देना है। यही राष्ट्रीय एकीकरण है।

राष्ट्रीय एकीकरण के महत्वपूर्ण पक्ष

राष्ट्रीय एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित हैं: -

1. धार्मिक एकीकरण → भारत में आठ प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं: - (I) हिन्दू (II) मुस्लिम (III) सिख (IV) इसाई (V) बौद्ध (VI) जैन (VII) पारसी और (VIII) यहूदी। प्रत्येक धर्म धार्मिक सिद्धान्तों, समुदायों और पंथों के आधार पर उपनिभाजित है तथा अनेक विश्वासों व आचरणों से जुड़ा है। यह धार्मिक भिन्नता उस समय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा बन जाती है जब एक धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सर्वधर्म-समभाव को विकसित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म पहचाने और दूसरे धर्मों के प्रति सदभाव व आदर रखे। इसके द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में मजबूती आ सकती है।

(2)

2. **भाषात्री एकीकरण** → भारत बहुभाषी राष्ट्र है। हिन्दी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। वैसे हिन्दी के प्रति दक्षिण भारत में विरोध देखा जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हिन्दी की महत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है।

3. **सांस्कृतिक एकीकरण** → व्यक्ति जिस सांस्कृतिक-प्रतिमान में जन्म लेता है, पलता है और समाजीकृत होता है, वह उसके व्यवहार व जीवन का ढंग बन जाता है। फलस्वरूप हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को सर्वोत्कृष्ट मानता है। परन्तु जब एक देश का व्यक्ति दूसरे देश की संस्कृति को बुरा व धृणा की दृष्टि से देखता है, तब यह एक समस्या बन जाती है। अतः आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता की। इससे एक-दूसरे की संस्कृति के प्रति सद्भाव व आदर बढ़ेगा। फलस्वरूप राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलेगा।

4. **राजनीतिक एकीकरण** → राजनीतिक एकीकरण का तात्पर्य स्वस्थ राजनीति से है। भारत ने एक एकीकृत इकाई के रूप में आजादी की लड़ाई लड़ी एवं आजादी पायी। आजादी के बाद इसने एक राष्ट्र के रूप में चीनी आक्रमण एवं पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया। हमारा कानून अमानता पर आधारित है। हमारी सारी योजनाएँ हर एक की उन्नति से सम्बन्धित हैं। हमारा संविधान सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान राजनीति - धर्म, जाति, भाषा व सम्प्रदाय आदि से प्रभावित है। यह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है। स्वस्थ राजनीति ही राष्ट्रीय एकीकरण का आधार हो सकती है।

5. **अल्पसंख्यक वर्गों का एकीकरण** → भारतीय जनसंख्या में हिन्दू बहुसंख्यक है व मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और आंग्ल-भारतीय अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या सर्वाधिक है। इन अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के साथ राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। एकीकरण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इस संदर्भ में एक ओर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के प्रति न्यायौचित व्यवहार करें, जिससे उनमें विश्वास की भावना को पनपाया जा सकता है। दूसरी ओर, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के प्रति अपनापन व विश्वास बढ़ाना होगा। दोनों को यह समझना होगा कि वे भारतीय हैं और भारत उनका है। इस भावना की जागृति के बाद ही अल्पसंख्यकों में एकीकरण की प्रक्रिया सरल होगी।

6. **उत्तर और दक्षिण का एकीकरण** → भौगोलिक, प्रजातीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का उत्तर व दक्षिण प्रदेश एक-दूसरे से भिन्न हैं। इन

दोनों क्षेत्रों के निवासियों के रहन-सहन, रीति-रीवाज, वेश-भूषा व भाषा आदि एक-दूसरे से भिन्न रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच पृथक्ता की भावना दो क्षेत्रों में विशेष रूप से देखी जाती है - (i) भाषा के क्षेत्र में और (ii) राजनीतिक क्षेत्र में। उत्तरी भारत हिन्दी भाषी क्षेत्र है जबकि दक्षिण भारत अहिन्दी भाषी। कन्नड़, तमिल, तेलगू, मलयालम आदि दक्षिण की भाषा हैं। भारत के अधिकांश राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री उत्तर भारत के रहे। इस भेद को राजनीतियों ने विशेष रूप से उभारा, जबकि वास्तविक रूप में ये भेद आन्त-कों पर आधारित रहे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर व दक्षिण की भावना को निकासकर राष्ट्रहित में एकीकरण की बात की जाय।

S. N. Choudhary
Mandari College
W. N. M. U